फद अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उप तहसीलदार मुकाम बीकानेर

सरकार .... बनाम ....

किस्म मुकदमा एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 प्रकरण सं0 19 सन 2018

20.9.18 आज पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित पत्रावली निर्णय पर ली गयी।

निर्णय

पटवारी हल्का .... की रिपोर्ट पर ग्राम .... में राजकीय भूमि अराजीराज पर निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदन पर काश्तकार ने जवाब प्रस्तुत किया/प्रस्तुत करने में असफल रहा। संवत 2075 में फसल रबी/खरीफ में ग्राम .... में स्थित खसरा नं0 30,36,37 किस्म तादादी 8.57 है0/बीघा........ बिस्वा आराजीराज भूमि पर जिन्स ....की फसल काश्त कर अथवा आवासीय मकान/ बाड़ा/ वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्माण कर श्री .... पुत्र .... जाति .... निवासी .... ने अतिचार किया। अप्रार्थी अपने इस अतिचार करने का विधिसम्मत् अधिकार प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः श्री .... पुत्र .... जाति .... निवासी .... को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता हैं।

(ग्राम .... में स्थित खसरा नं0 30,36,37 .... किस्म .... तादादी .. 8.57 है0/बीघा ...... बिस्वा आराजी राज भूमि पर जिन्स .... की फसल को राजकीय फसल घोषित कर निरीक्षक भू अभिलेख .... को निलामी हेतु आदेशित किया जाता हैं/यदि फसल उठा ली गई है तो कुन्ता नामा कर राशि वसूल कर खजाने राज जमा करवाई जावे।

अथवा

ग्राम .... में स्थित खसरा नं0...........किस्म............. तादादी........... है0/बीघा ...... बिस्वा आराजीराज भूमि पर आवासीय मकान / बाड़ा/ वाणिज्यिक/ औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्माण पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता हैं तथा अवैद्य निर्माण को तोडने के लिए श्रीमान जिला कलक्टर महो0 बीकानेर से अनुमति प्राप्त करने हेतु लिखा जावे।)

राजस्थान भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 के तहत भू राजस्व .... अखरे रू0 .... का पचास गुणा तावान अर्थात रू0 322 (पूर्णांक में) मात्र अखरे रू0 तीन सौ .... मात्र की शास्ती लगायी जाती हैं। पटवारी हल्का .... वसूल करें एवं तहसील राजस्व लेखाकार अपने अभिलेखों में उक्त रकम की मांग कायम करें।

निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। बाद वसूली पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(जयदीप मित्तल)
पीठासीन अधिकारी एवं
उप तहसीलदार बीकानेर

Scanned by CamScanner